2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्द करण बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार लूणी व अन्य) सू.अ.अ. अपील संख्या 171/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण निवासी 79, हनुवंत बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.09.18 में उसके द्वारा (1) उप तहसीलदार झंवर कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक भू.अ./2017/231 दिनांक 16.10.17 पर प्रार्थी का प्रत्युत्तर एवं उस पर की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार लूणी एवं उप तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार लूणी) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, जो खेदजनक है। उप तहसीलदार लूणी से जरिये पत्रांक 02 दिनांक 07.01.19 प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि बिन्दु संख्या 1 से संबंधित सूचना पत्र क्रमांक/भू.अ./2017/405 दिनांक 27.10.17 द्वारा तहसीलदार लूणी को प्रेषित की गई। अन्य बिन्दुओं से बाबत् चाही गई सूचना का जबाब दिया जो सन्तोषप्रद नहीं है। अपील के संलग्न अपीलार्थी/प्रार्थी को उप तहसीलदार झंवर द्वारा जरिये पत्रांक 364 दिनांक 02.11.18 सूचित पत्र का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि बिन्दु संख्या–2, 3 के बारे में उप तहसीलदार झवंर द्वारा प्रत्युत्तर दिया जा चुका है। इसी प्रकार बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना प्रश्नात्मक है जिसकी सूचना दिये जाने योग्य नही है। बिन्दु संख्या–4 से संबंधित सूचना उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से संबंधित होनी बताई गई तो लोक सूचना अधिकारी को इस बिन्दु बाबत् सूचना के लिए संबंधित कार्यालय को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करना चाहिए। अतः तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या 1 एव 4 से संबंधित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	